प्रेस प्रकाशनी

फरवरी 2009

बाजार स्थिरीकरण योजना में संशोधन के लिए समझौता ज्ञापन

27 फरवरी 2009

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) पर 25 मार्च 2004 के समझौता ज्ञापन को संशोधित करने के लिए 26 फरवरी 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच परस्पर सहमति के साथ समझौता ज्ञापन में यह संशोधन सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बाजार स्थिरीकरण योजना नकदी खाते में राशि के एक हिस्से को सामान्य नकदी खाते में अंतरित करने की व्यवस्था करता है।

इस संशोधन पर हस्ताक्षर करने के बाद 31 मार्च 2009 तक 45,000/-करोड़ रुपए की राशि बाजार स्थिरीकरण योजना नकदी खाते से भारत सरकार के सामान्य नकदी खाते में किस्तों में अंतरित की जाएगी। बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों की एक समतुल्य राशि अब भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम का एक भाग बनेगी।

यह स्मरण होगा कि 25 मार्च 2004 के समझौता ज्ञापन में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिलों और/अथवा दिनांकित प्रतिभूतियों) के निर्गम की अनुमति दी गई है ताकि भारी पूँजी अंतर्वाहों के संदर्भ में अत्यधिक विनिमय दर अस्थिरता को रोक रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप से उत्पन्न अत्यधिक चलनिधि को निष्क्रिय किया जा सके। बाजार स्थिरीकरण योजना के

अंतर्गत प्राप्त राशि रिज़र्व बैंक के पास बाजार स्थिरीकरण योजना नकदी खाता शीर्षक अभिज्ञान योग्य एक अलग नकदी खाते में रखी जाती है। बाजार स्थिरीकरण योजना नकदी खाते की राशि का बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत ट्रेजरी बिलों और/अथवा दिनांकित प्रतिभूतियों के मोचन अथवा पुनर्खरीद के अलावा अन्य किसी व्यय में विनियोजन नहीं किया जा सकता है।

मूलतः बाह्य खाते में परिवर्तन के कारण स्थितियाँ प्रत्यावर्तित हो गई हैं जिसका परिणाम विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के परिचालनों के प्रभाव को दर्शाते हुए प्रारंभिक चलनिधि का विद्यमान बहिर्वाह हुआ है। फलतःबाजार स्थिरीकरण योजना नकदी खाते की स्थिरीकृत चलनिधि को सरकार के सामान्य नकदी खाते की राशि में अंतरित करके प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की चलनिधि बाध्यताओं के समाधान हेतु ढाँचा

18 फरवरी 2009

भारत सरकार ने एक विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी) के माध्यम से प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार करने वाली पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के लिए अस्थायी चलनिधि असंतुलनों को पूरा करने में चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक व्यवस्था की घोषणा की है। इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस परिचालन को शुरू करने के लिए विशेष प्रयोजन सुविधा के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (आइडीबीआइ एसएएसएफ) न्यास को अधिसूचित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक 20,000 करोड़ रुपए की सकल राशि के लिए भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत विशेष प्रयोजन सुविधा के द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। विशेष प्रयोजन सुविधा जारीकर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अल्पावधि पेपर की सीधे खरीद करेगा। ये अल्पावधि लिखत 90 दिनों तक की अवशिष्ट परिपक्वता सहित वणिज्यिक पत्र तथा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर होंगे और उन्हें निवेश श्रेणी में निर्धारित किया जाएगा। 31 मार्च 2009 के बाद जारी किए गए किसी पेपर के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार करने वाली पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) अल्पावधि पेपर की खरीद हेतु अपने अनुरोधों पर विचार करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दबावग्रस्त अस्ति स्थिरीकरण निधि (आइडीबीआइ एसएएसएफ) न्यास से संपर्क कर सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना को संशोधित किया: इंटरनेट बैंकिंग और बीसीएसबीआइ कोड का पालन नही करने संबंधी शिकायतें शमिल

5 फरवरी 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न कमियों को शमिल करने हेतु अपनी बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोई ग्राहक भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता के प्रावधानों अथवा ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता का पालन नही किए जाने के लिए बैंक के विरुद्ध कोई शिकायत भी दर्ज करा सकेगा। भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) यह निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित

करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र स्वायत्त प्रहरी है कि बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा अंगीकृत कोड और मानकों का उनकी मूलभावना के अनुसार पालन किया जाता है।

संशोधित योजना के अनुसार बैंकिंग लोकपाल शिकायतकर्ता को शिकायत के समय की हानि, तथा उसके द्वारा किए गये व्यय, और उसे हुई परेशानी और मानसिक व्याकुलता पर विचार करते हुए क्रेडिट कार्ड परिचालनों से उत्पन्न शिकायतों के मामले में एक लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय दे सकता है। इसके अतिरिक्त बैंको द्वारा नियुक्त किए गए वसूली एजेंटों पर रिज़र्व बैंक के दिशनिर्देशों का पालन नहीं करने को भी विशिष्ट रूप से इस योजना की संवीक्षा के अंतर्गत लाया गया है।

कोई ग्राहक जिसे किसी बैंक के विरुध्द कोई शिकायत है वह उस बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में शिकायत की गई बैंक की शाखा स्थित है। कुछ बैंकों ने आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसे कतिपय लेन देन को केंद्रीकृत किया है। यदि ऐसे लेन देन से संबंधित कोई शिकायत है तो यह शिकायत बैंकिंग लोकपाल से उस राज्य में करनी होगी जहाँ बैंक ग्राहक बिल प्राप्त करता है।

इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज कराने के लिए फार्मेट का सरलीकरण किया है। यद्यपि, शिकायतकर्ता को किसी विशिष्ट फार्मेट में अपनी शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, यह योजना अब शिकायत दर्ज कराने के लिए सरलता से भरने योग्य एक फार्मेट उपलब्ध कराती है यदि शिकायतकर्ता इसका उपयोग करना चाहता हो। कानपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नै और तिरुवनंतपुरम में बैंकिंग लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय के क्षेत्रों की भौगोलिक प्रधानता को ध्यान में रखते हुए कतिपय क्षेत्रों को शमिल करने / बाहर रखने के लिए विवेकाधीन बनाया गया है।

तथापि, इस संशोधित योजना में बैंक गारंटी अथवा साख पत्र अदि का भुगतान नहीं करने जैसे कतिपय बैंकिंग लेन देन शामिल नही हैं। बैंकिंग सेवाओं के इन क्षेत्रों पर शिकायतें संख्या की दृष्टि से महत्वहीन हैं।

व्यापक प्रसार के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपनी वेबसाईट पर बैंकिंग लोकपाल योजना की प्रति जारी करें। संशोधित योजना रिज़र्व बैंक की वेबसाईट www.bankingombudsman.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।